न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर

पीठासीन अधिकारी – श्री अमीलाल यादव R. A. S.

न. मु. 89/2024

1 पन्नाराम पुत्र चुनाराम जाति जांगीड़ ब्राहाम्ण निवासी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 बाबत रेकार्ड दुरूस्ति

उपस्थित

1 प्रार्थी स्वयं

2 पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :– 30/12/2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 बाबत रेकार्ड दुरूस्ति का पेश कर निवेदन किया कि रोही ग्राम ईयांरा में मुझ प्रार्थी का खातेदारी खेत मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2076–2079 खेत वर्तमान खाता नम्बर 270 खसरा नम्बर 1395/823 रकबा 2.0234 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1396/1132 रकबा 1.0117 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 3.0351 हैक्टेयर खातेदार पन्नालाल पुत्र चुनाराम के नम खातेदारी का दर्ज है। मेरे समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड में मेरा नाम पन्नाराम पुत्र चुनाराम दर्ज है तथा मेरी जाति जांगीड़ ब्राहाम्ण है मै प्रार्थी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी एवं नक्शा में अपना नाम पन्नाराम पुत्र चुनाराम जाति जांगीड़ ब्राहाम्ण शुद्ध दर्ज करवाना चाहता हूॅ। उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के पूर्वजों के वक्त की पैतृक सम्पति है प्रार्थी उक्त खाता खसरा का रेकार्डेड खातेदार होने की हैशियत से रेकार्ड को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। खेत खसरा नम्बर 1395/823 रकबा 2.0234 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1396/1132 रकबा 1.0117 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 3.0351 हैक्टेयर रोही ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरू का खातेदार कृषक है इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त हैं तथा खसरे रोही ईयारा में स्थित है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रोही ईयारा के खसरा नम्बर 1395/823 रकबा 2.0234 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1396/1132 रकबा 1.0117 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 3.0351 हैक्टेयर के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेश मे नाम पन्नालाल के स्थान पर पन्नाराम व जाति ब्राहाम्ण के स्थान पर जांगीड़ ब्राहाम्ण शुद्ध करने के आदेश अता फरमाये।

लगातार...2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। पैराकार राज. ने प्रकरण में राजहित प्रतीत नहीं होना जाहिर किया है।

हमने पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत रेकार्ड दस्तावेजात को बगौर देखा। प्रार्थी को सुन कर मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और दस्तावेजात के खण्डन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं आया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकार्ड शुद्धि का आदेश दिया जाता है कि रोही ईंयारा के खसरा नम्बर 1395/823 रकबा 2.0234 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1396/1132 रकबा 1.0117 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 3.0351 हैक्टेयर के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेश मे नाम पन्नालाल के स्थान पर पन्नाराम व जाति ब्राहाम्ण के स्थान पर जांगीड़ ब्राहाम्ण शुद्ध दर्ज की जावे। अप्रार्थी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर को आदेश की पालना हेतू अलग से लिखा जावे। खर्चा पक्षकार अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर